न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

मि0न0 32 / 22 **पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

उनवान

1. भोजराज यादव पुत्र बलराम यादव निवासी दीलोदहाथी तहसील अटरू

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–
प्रार्थी :– स्वयं
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 30 / 11 / 2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 एल0 आर0 एक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कवाई तहसील अटरू के ख0नं0 2502 / 702 रकबा 0.01 है0 आराजी प्रार्थी के दर्ज खाता स्थित है जिसकी तहसील ऑनलाईन होने के दौरान तरमीम गलत दर्ज कर पूर्व से पश्चिम की ओर दर्ज की है जबकि मौके पर उक्त आराजी ख0नं0 2502 / 302 उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बवत हैं । अतः प्रार्थी की आराजी ख0नं0 2502 / 302 की दिशा पूर्व से पश्चिम के स्थान पर उत्तर से दक्षिण दिशा करने के आदेश अप्रार्थी को देने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक / 2022 / 8253 दिनांक 16.11.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कवाई के अनुसार ग्राम कवाई के ख0नं0 2502 / 302 की मौका स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम तहसील राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन करते समय गलत कर दी गई है। उक्त तरमीम वर्तमान में पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि मौके पर

उक्त आराजी ख0नं0 2502/302 उत्तर से दक्षिण दिशा में लम्बवत हैं । अतः मौके स्थिति अनुसार नक्शे में शुद्विकरण किया जाना उचित होगा।

3. तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2022, ख0नं0 2502/302 की जमाबन्दी संवत 2075–78, नजरी नक्शा, खसरा नक्शा मय जमाबन्दी व रजि0 विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार विवादित भूखण 2502/302 प्रार्थी भोजराज पुत्र बलराम अहिर के खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा यह भूखण्ड जरिये रजि0 विक्रय पत्र अमित कुमार व अन्य पुत्रान जगदीश महाजन निवासी कवाई से क्रय किया था। रजि0 विक्रय पत्र में उल्लेखित चतुर्थ दिशाओं के अनुसार विवादित भूखण्ड ख0नं0 2502/302 रकबा 0.01 है0 के उत्तर में आम रास्ता, पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में विक्रेता अमित कुमार व अन्य की खाली भूमि व दक्षिण में छीतरलाल कुशवाह का मकान है। इस चतुर्थ दिशाओं के आधार पर प्रार्थी के भूखण्ड की नक्शे में तरमीम निम्नानुसार होनी चाहिए थी–

<u>टेबल–1</u>

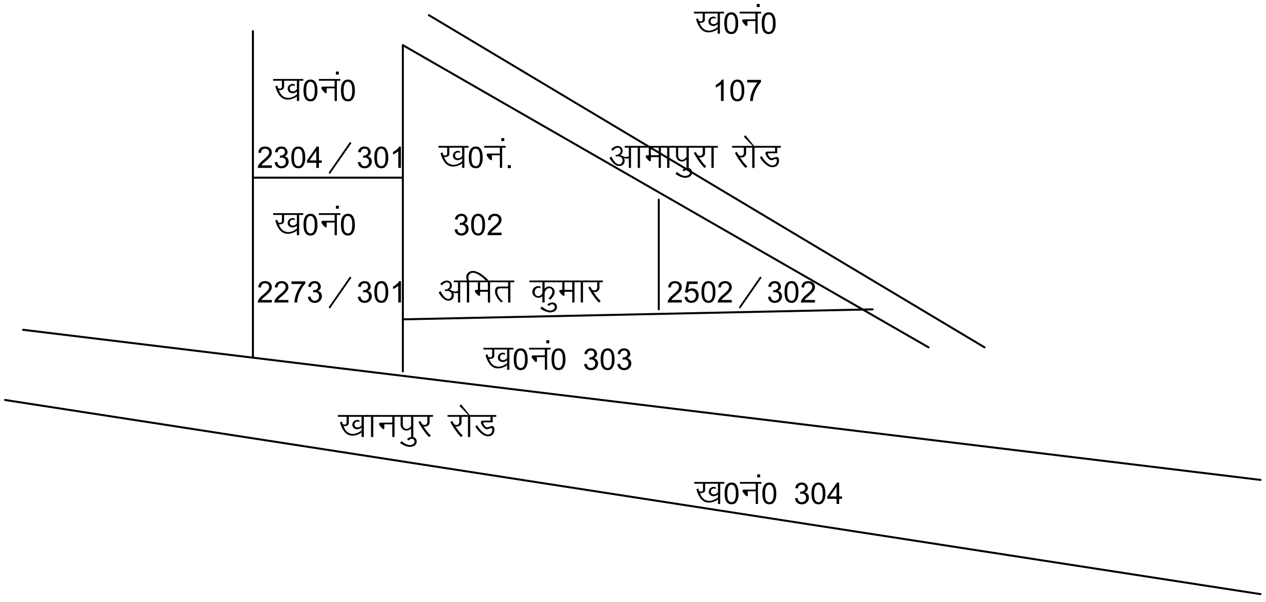

वर्तमान खसरा नक्शा व मय जमाबन्दी के अनुसार राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा तहसील ऑनलाइन करते समय प्रार्थी के भूखण्ड ख0नं0 2502/302 की नक्शे में निम्नानुसार तरमीम है–

<u>टेबल–2</u>

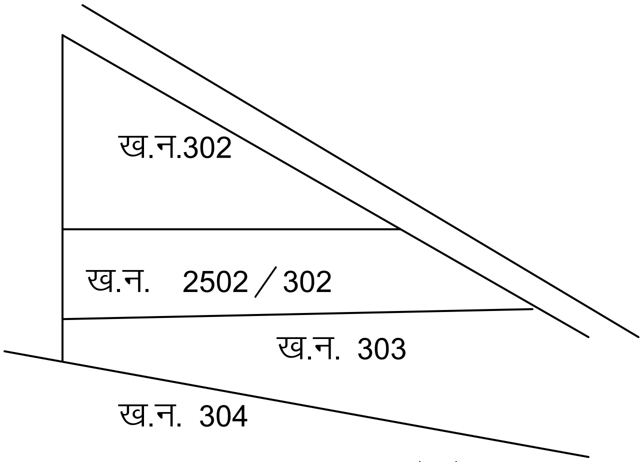

उक्त दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 16.11.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड यानी नक्शे में तरमीम के दौरान लिपीकीय त्रुटि हुई है और इस त्रुटि को तहसलीदार अटरू द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। अतः नक्शे में तरमीम के दौरान हुई उक्त त्रुटि को सुधार कर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख व मौका रिपोर्ट के अनुसार सुधारा जाना न्यायहित में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि ग्राम कवाई के ख0नं0 2502/302 रकबा 0.01 है0 के वर्तमान नक्शे/राजस्व रिकार्ड की तरमीम में टेबल–1 के अनुसार भूखण्ड की लम्बाई व चौडाई को ध्यान में रखते हुए संसोधन कर राजस्व नक्शे/रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक **30.11.2022** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां